



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग लखनऊ

संख्या 401 - का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2014-7 काविनी एवं वे०प्र० / 09 दिनांक 29 अप्रैल, 2014

समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-I एवं II),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियंता,
समस्त उप महाप्रबन्धक,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन एवं उसकी वितरण कम्पनियों के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके हैं, को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या 726-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/13-7 काविनी एवं वे०प्र०/09 दिनांक 09.12.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश है कि दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में कारपोरेशन के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2014 से निम्नानुसार बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2014	मूल वेतन का 100 प्रतिशत

2. उपरोक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्न प्रमुख बिन्दु निर्धारित किये गये हैं :-
- इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैंड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिधि में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
 - महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम - 9 (21) के अन्तर्गत 'वेतन' नहीं माना जायेगा।
 - इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवाएँ चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्ति, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हों, सेवा-समाप्ति, सेवा निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।
 - इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा पचास पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।
 - दिनांक 01 जनवरी, 2014 से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक देय महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि, अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से जमा माना जायेगा और इसी तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस

(क्रमशः.....2)

प्रकार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलो को छोड़कर, जिनमें सामान्य/अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाये, उक्त तिथि से पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा।

- VI. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से (माह अप्रैल, 2014 का भुगतान दिनांक 01 मई, 2014 को देय) नकद किया जायेगा।
- VII. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जिनका सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता न खुला हो उनको देय अवशेष, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन०एस०सी०) के रूप में दिया जायेगा, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।
- VIII. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस आदेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2014 से इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महँगाई भत्ते की बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।
3. यह आदेश कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के पत्र सं० 2654/सी०ई०ओ०-1 लखनऊ दिनांक 29 अप्रैल, 2014 द्वारा सूचित भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
4. उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महँगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु उप महाप्रबन्धक (लेखा) द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्रवदीय,

(जावेद अहमद) 28/4/14

संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

सं०- 401-(I) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
13. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
14. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

श्रवदीय,

(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)